न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी रिया डाबी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 7/2019 वाद

श्रीमती अमरजीत कौर पत्नी श्री सत्येन्द्र पाल सिंह छाबड़ा, जाति सिक्ख, उम्र वयस्क, निवासी–डी–23, शिव पार्क कॉलोनी, एम.बी. कॉलेज, उदयपुर(राज.)
.....वादीया

बनाम

1. राजकुमारी पुत्री पी.सी. सिघल, उम्र वयस्क, निवासी–चांदपोल बाहर, कर्मशील मार्ग, उदयपुर (राज.)
2. श्री कन्हैयालाल पिता भंवरलाल जी तेली, उम्र वयस्क, निवासी बुझड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.) के बजाए
   (2/1) श्रीमती मगनी बाई पत्नी स्व. कन्हैयालाल जी तेली, उम्र वयस्क, निवासी बुझडा, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
   (2/2) श्रीमती मंजु पुत्री श्री कन्हैयालाल जी तेली पत्नि श्री पन्नालाल जी तेली निवासी बुझडा, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
   (2/3) श्रीमती रेखा पुत्री श्री कन्हैयालाल जी तेली, पत्नी श्री विनोद जी तेली, निवासी बुझडा, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
   (2/4) श्री कमलेश पिता श्री कन्हैयालाल जी तेली, उम्र वयस्क, निवासी बुझडा, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
   (2/5) श्री मदन लाल पिता कन्हैयालाल जी तेली, उम्र वयस्क, निवासी बुझडा, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती कुसुम कुंवर पत्नी श्री महेन्द्र सिंह जी पंवार, उम्र वयस्क, निवासी 6 आचार्य मार्ग, चांदपोल बाहर, उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती भंवरी देवी पत्नी बनाराम जी चौधरी, उम्र वयस्क, निवासी–4 गुमानिया वाला, उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती द्रोपदी देवी पत्नी विष्णु टांक, (कुमावत), उम्र वयस्क, निवासी सेक्टर नम्बर 3, रामपुरा कॉलोनी, उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती राजलक्ष्मी पत्नि रामचंद्र धायभाई, उम्र वयस्क, निवासी 76, कुम्हारवाडा, दांताभेरू उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती पुष्पादेवी पत्नी श्री देवीलाल जी तेली, उम्र वयस्क, निवासी बुझड़ा तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्री शैलेश नागदा पिता श्री गोविन्द नारायण जी नागदा, उम्र वयस्क, निवासी–जी–1, क्रिव्ल अपार्टमेंट सेन्ट मेरीज स्कुल के सामने, न्यु फतहपुरा, उदयपुर (राज.)
9. श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी रमेश जी लौहार, उम्र वयस्क, निवासी माणस पोस्ट बाघपुरा तहसील झाड़ोल (फ.) जिला उदयपुर (राज.)
10. डॉ. मोहम्मद अनीस मंसुरी पिता श्री मोइनुदीन मंसुरी, जाति मुसलमान, उम्र वयस्क, निवासी–4/2955, बी–ब्लॉक, सज्जन नगर, उदयपुर
11. श्री बाबुलाल पिता श्री उमाशंकर जी सुथार, उम्र वयस्क, निवासी 35 काश्तकला मार्ग, खेरादीवाड़ा, उदयपुर (राज.)
12. श्रीमती मीरा पत्नी बाबुलाल जी सुथार, उम्र वयस्क, निवासी 35 काश्तकला मार्ग, खेरादीवाड़ा, उदयपुर (राज.)
13. श्री मोहन डी चौधरी पिता श्री डालचंद जी चौधरी, उम्र वयस्क, निवासी 18 राताखेत सीसारमा, उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ria Dabi
Date: 2024.05.25 13:48:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

14. श्री अनिल कुमार शर्मा पिता श्री भागीरथ जी शर्मा, उम्र वयस्क, निवासी—मार्फत श्यामलाल शर्मा, मकान नम्बर 7, मुकुन्द जी का दरवाजा के अन्दर, लालघाट, जगदीश चौक, उदयपुर (राज.)

15. श्री राजेन्द्र कुमावत पिता श्री विजयराम कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी चांदपोल नागानगरी, उदयपुर (राज.)

16. श्रीमती चन्द्र देवी पत्नी श्री रमेश जी साहु, उम्र वयस्क, निवासी 337, अम्बामाता स्कीम, मुल्लातलाई चौराया, उदयपुर (राज.)

17. श्री शंकर लाल तेली पिता श्री कन्हैयालाल जी तेली, उम्र वयस्क, निवासी बुझडा, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)

18. श्री कमल डांगी पिता श्री दल्ला जी डांगी, उम्र वयस्क, निवासी शोभागपुरा, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर (राज.)

19. श्री मोहम्मद युनुस पिता श्री जाहिद मोहम्मद मंसुरी, उम्र वयस्क, निवासी 238, मंसुरी कॉलोनी, मुल्लातलाई, उदयपुर (राज.)

20. श्री जाहीर मोहम्मद पिता स्व. श्री वली मोहम्मद, उम्र वयस्क, निवासी हर्ष नगर, सीसारमा रोड, उदयपुर (राज.)

21. सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी.

श्री अजय सनाढ्य अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या एक एवं
श्री रोशनलाल जैन अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 10 उपस्थित

निर्णय

दिनांक : 16.5.24

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद वास्ते बंटवाडा एव स्थाई निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का राजस्व ग्राम सीसारमा पटवार मण्डल सीसारमा की आराजी संख्या 2611, 2641, 2642, 2643 किता 4 रकबा 0.4350 हैक्टेयर का प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादी संख्या एक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 का प्रस्तुत कर अंकित किया कि उक्त अनवान प्रकरण माननीय अपील न्यायालय से रिमाण्ड होकर वर्तमान में विचाराधीन है। वाद वर्णित संपूर्ण आराजीयात भूमि हाल रेकार्ड के अनुसार आबादी में दर्ज की जा चुकी है तथा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 207 के अनुसार केवल वे समस्त भूमि जिनकी राजस्व रेकार्ड में किस्म कृषि भूमि है उनसे सम्बधित समस्त वादों एवं विवादों का विचारण क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है जबकि आबादी में दर्ज आराजीयात भुमि से सम्बधित समस्त वादों एवं विवादों का विचारण का एकमात्र क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। उक्त वाद क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर आप न्यायालय में सुनवाई योग्य नहीं होने से इसी स्टेज पर निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण को माननीय अपील न्यायालय द्वारा रिमाण्ड किये जाने के उपरान्त से अर्थात विगत लंबे समय से प्रकरण में वादी अथवा उसकी ओर से किसी भी अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति

Signature Not Verified
Digitally signed by Ria Dabi
Date: 2024.05.25 13:48:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

नहीं दी जा रही है। जिसका उल्लेख आप माननीय न्यायालय के फर्द अहकाम पर भी नियमित रूप से किया जा रहा है तथा न ही आप माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसरण में वादी की ओर से पक्षकारों को उपराजाति बाबत समन नहीं पेश किए जा रहे है। तद्हेतु वादी द्वारा पेश प्रकरण को आदेश 9 नियम 2, 5, एवं 8 जा.दी. के अनुसरण में वादी द्वारा पेश वाद का खारिज किए जाने बाबत उचित आदेश पारित किया जाना न्यायोचित होगा। उपरोक्त कारणों से वादी के वाद मे कोई कार्यवाही नही हो सकती है। इस कारण वादी का वाद इसी स्टेज पर विधि द्वारा वर्जित वाद की श्रेणी का वाद होने से खारिज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण का वाद इसी स्टेज पर विधि द्वारा वर्जित वाद होने के कारण आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के तहत खारिज किए जाने का आदेश फरमावें।

प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा प्रार्थना का जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि वाद के जैर पेंडिग रहते हुए प्रार्थिया राजकुमारी ने धोखे एवं बदनियती से यू.आई.डी. में जमीन के अपने तथाकथित हिस्से को आबादी में करने हेतु आवेदन पेश किया वह पूर्णतया गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया। वास्तविकता यह है कि न्यायालय आप द्वारा प्रकरण संख्या 141/15 में पारित निर्णय दिनांक 01.02.2016 की पालना स्थगित फाइनल डिक्री पारित की वह उस फाइनल डिक्री पर अपीलिय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा अपने मुकदमा नम्बर 21/2016 में दिनांक 01.02.2016 को ही अपन द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.02.2016 की पालना में मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति रखे जाने के आदेश पारित कर दिए गये थे बावजूद इसके भी प्रार्थिया राजकुमारी ने आप न्यायालय द्वारा जारी डिक्री दिनांक 01.02.2016 के तहत नगर विकास प्रन्यास में आवेदन कर भूमि के तथाकथित हिस्से को संपरिवर्तन कराने हेतु आवेदन पत्र पेश किया है जो जैर पेंडिग है। यहॉ यह वर्णित करना आवश्यक है कि भूमि आबादी में दर्ज हो गई है तो उसके सम्बध में वाद आप न्यायालय में पेंडिग है तो ऐसी स्थिति में भूमि आबादी में दर्ज होने का कोई औचित्य नहीं है एवं आप न्यायालय में इसी भूमि का यह राजस्व वाद पेन्डिग होकर जैर सुनवाई है एवं आप न्यायालय को इस बात को सुनने का पूर्ण अधिकार है। वाद के पेन्डिंग रहते बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये यदि भूमि आबादी में दर्ज भी हो गई है तो उसकी कोई विधिक मान्यता नहीं है। वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 2 आपस में मिली भगत कर ली गई है और दोनों मिलकर उत्तरकर्ता की भूमि को हड़पना चाहते है एवं इसी उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश यिका है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। उत्तरकर्ता मोहम्मद अनीश इस वाद में आवश्यक पक्षकार है। वाद बंटवाडे का है एवं इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Ria Dabi
Date: 2024.05.25 13:48:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

आराजी का बंटवाडा होना है उसमें उत्तरकर्ता भी सहखातेदार है। ऐसी स्थिति में यदि वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक दुर्भिसंधि कर वाद में वादी उपस्थिति नहीं देता है तो उत्तरकर्ता अपने अधिकारों की रक्षा हेतु वाद की आगे सुनवाई जारी रखाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा दिनांक 10.11.2022 को आप न्यायालय को एक पत्र इसी भूमि के सम्बध में जारी किया गया जिसमें न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के प्रकरण संख्या 21/16 उदयपुर/डिक्री राजेन्द्र बनाम अमरजीत कौर व अन्य के मुकदमें स्पष्ट लिखा कि आप न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर दियाा गया है ऐसी स्थिति में आप न्यायालय में यह वाद पेन्डिंग रहते हुए उसका कोई विधिक अस्तितव नहीं रहता है। दुरभिसंधि के तहत प्रतिवादी संख्या एक ने जानबूझकर तहसीलदार गिर्वा से एक आदेश क्रमांक भू.अ./90–क/2021/1999 दिनांक 18.10.2021 के तहत भूमि यू.आई.टी के नाम नामान्तकरण की जो अपीललीय न्यायालय के आदेश दिनांक 01.02.2016 के आदेश की पूर्णतया अवहेलना है एवं अपीलीय न्यायालय के मुकदमा नम्बर 21/2016 के तहत यह नामान्तरकण पूर्णतया अवैध होकर कानूनन शून्य है जिसकी कोई विधिक अस्तित्व नहीं है। प्रतिवादी संख्या एक द्वारा यह प्रार्थना पत्र दुर्भिसंधि कर पेश किया है जो प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य है। वादी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने से वादी के जवाब अवसर बंद किए जाकर उपस्थित अधिवक्ता गण प्रतिवादी संख्या एक व दस की बहस सुनी गई।

प्रतिवादी संख्या एक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया गया कि वादग्रस्त आराजीयात की किस्म का रूपान्तरण नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा आबादी के रूप मे कर दी गई है तथा जब किसी भी आराजीयात की किस्म आबादी हो तो उक्त आराजीयात के सम्बध में किसी वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है। हस्तगत वाद में वादी पिछले काफी समय से उपस्थित नहीं हो रहा है तथा वाद को चलाने की समस्त जिम्मेदारी वादी की है तथा वादी के अनुपस्थित रहने से वादी का वाद आदेश 9 नियम 8 सी.पी.सी. के तहत खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 10 अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि माननीय अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के प्रस्तुत अपील में न्यायालय द्वारा तहसीलदार गिर्वा स्वयं द्वारा पुनः बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु रिमाण्ड किया गया है। अतः माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ria Dabi
Date: 2024.05.25 13:48:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

पालना कराई जाना आवश्यक है। वादग्रस्त आराजीयात का रूपान्तरण दौराने वाद होने से हस्तगत वाद की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः प्रतिवादी संख्या एक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे एवं प्रकरण में तहसीलदार गिर्वा से बंटवाडा प्रस्ताव तलब फरमाया जावें।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त आराजी संख्या 2641, 2642, 2643 नामान्तकरण संख्या 6705 दिनांक 03.04.2019 से तथा आराजी संख्या 2643/1 नामान्तकरण संख्या 7230 दिनांक 27.10.2021 से वर्तमान में नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के नाम राजस्व रिकार्ड में किस्म आवासीय दर्ज है। तथा वादीया अमरजीत कौर द्वारा अपना हिस्सा अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर दिया गया है। वादग्रस्त आराजीयात की किस्म आवासीय दर्ज होने से वादग्रस्त आराजीयात के खातेदारों द्वारा चाही जाने वाली दाद का निस्तारण माननीय सिविल न्यायालय द्वारा ही दी जा सकती है तथा आवासीय भूमि के सम्बधित समस्त विवादों को सुनने का क्षैत्राधिकार माननीय सिविल न्यायालय को प्राप्त होने से प्रकरण राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।

अतः प्रतिवादी संख्या एक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ria Dabi
Date: 2024.05.25 13:48:54 IST
Reason: SelfAttested

(रिया डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा-उदयपुर

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी रिया डाबी, आई.ए.एस. मुकद्मा 7/2019 सन 2019 सीगह वाद श्रीमती अमरजीत कौर बनाम राजकुमारी व अन्य 21 वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का

यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने रिया डाबी, आई.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 अधिवक्ता अजय सनाढ्य एवं प्रतिवादी सं. 10 अधिवक्ता रोशन लाल जैन की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि :–

प्रतिवादी संख्या एक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है।

और इस वाद के खर्चे लेखे ....✗........रुपये की राशि........✗.......आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ......✗......प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ....द्वारा ....✗.....को दी जाए।

यह आज तारीख ....16............... माह .....04..... सन् ......2024.......... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

(अनवान सूची सलंग्न है)

हस्ताक्षर न्यायाधीश ....

पद ....उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ria Dabi
Date: 2024.05.25 13:48:54 IST
Reason: Self Attested